

FORM No. III

फॉर्म आठकाम(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड राज०

प्रार्थना पत्र / 55/2023

दायर दिनांक 05/04/2023

प्रकरण धारा 130 एल.आर.एक्ट.

उन्वान

गुमानसिंह पिता चन्द्रसिंह जाति राजपूत नि० सारंगखेडा तहसील पिड़ावा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा जिला झालावाड राज०

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिवियल्स जज | नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तालिम में जारी हुये |
|-------------|---|--|
| 4/5/23 | <p>प्रार्थी गुमानसिंह पिता चन्द्रसिंह जाति राजपूत नि० सारंगखेडा तहसील पिड़ावा द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर ग्राम सारंगखेडा तहसील पिड़ावा की आराजी ख०न० 1025/843 रकबा 0.7588 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही तरमीम अशुद्धि को दुरुस्त करने बाबत निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर निवेदन किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण मे रिपोर्ट तहसीलदार पिड़ावा ली गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि तहसीलदार पिड़ावा की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम सारंगखेडा तहसील पिड़ावा की आराजी ख०न० 1025/843 रकबा 0.7588 हैक्टेयर भूमि की तरमीम नक्शा व सीमाये मौके पर सही है व मुताबिक रेकार्ड मे भी सही हैं। प्रार्थी द्वारा चाही गई तरमीम शुद्धि उचित नहीं है।</p> <p>अतः प्रकरण धारा 130 एल.आर. एक्ट के तहत नतीजा के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रकरण खोला गया किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर में दर्ज लगाया जावे।</p> | |

